संख्या:50/2016/197/35-4-2016

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक:04 फरवरी,2016

विषय : वर्ष 2015-16 में निर्गत शासनादेश में त्रुटि का निराकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देवरिया में शासनादेश संख्या-6/2016/10/35-4-2016 द्वारा एस0एन0जी0डी0बी0 मार्ग से पथरहट सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की गई है। यह शासनादेश दिनांक 04 जनवरी,2016 को निर्गत हुआ है। इस शासनादेश में टंकण त्रुटिवश दिनांक 04 जनवरी,2015 अंकित हो गया है। अत: उक्त शासनादेश का दिनाँक 04 जनवरी, 2016 पढा जाये।

संख्या:50/2016/197(1)/35-4-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, लोक निर्माण ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, गोरखपुर।
7- जिलाधिकारी, देवरिया।
8- मुख्य विकास अधिकारी, देवरिया।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देवरिया।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, देवरिया।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://basicsiteslist.nic.in